

## भारत में पर्यटन का विकास

प्राप्ति: 20.08.2024

स्वीकृत: 16.09.2024

डॉ० कमलेश बैरवा

राजकीय महाविद्यालय

आँधी जमवारामगढ़, जयपुर

ईमेल: dr.kamleshberwa@gmail.com

60

### सारांश

पर्यटन उद्योग के समक्ष आज जो विशेष समस्या देश में आ रही है, वह यह भी है यह बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन-स्थल निरंतर प्रदूषित होते जा रहे हैं। वहां पर पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल वस्तुओं से कचरा व गंदगी इतनी अधिक फैल रही है कि निकट भविष्य में उन स्थानों के महत्व पर भी प्रश्नचिन्ह लग सकता है। ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की भी है कि 'इको टूरिज्म' अर्थात् पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। इको टूरिज्म का पहला नियम है—'लीजिये केवल तस्वीरे और छोड़ जाइये सिर्फ अपने पद चिह्न इसी से पर्यटन-स्थलों पर फैलने वाली गंदगी तथा पर्यटकों द्वारा किये जाने वाले प्रदूषण से इन स्थलों का बचाव किया जा सकेगा। इस दिशा में प्रभावी प्रबन्धन को अपनाकर पर्यटन विभाग को अपने ब्रोशर में, होटलों को अपने मैनू के पीछे निर्देश जारी करने के बारे में जागरूक किया जाए साथ ही समस्त पर्यटन स्थलों को पर्यटन मैत्री हर तरीके से बनाया जाये जिससे किसी भी प्रकार के पर्यटक को पर्यटक स्थल तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो तथा उसका भ्रमण यादगार बने। इससे भारत में पर्यटन विकास को और अधिक गति मिलेगी।

### मुख्य शब्द

पर्यटन, विकास, रणनीति, योजना, उद्देश्य, राष्ट्रीय

देश में पर्यटन का उद्योग के रूप में विकास धीरे-धीरे हुआ है। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1949 में पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए तत्कालीन परिवहन मंत्रालय में अलग से पर्यटन प्रकोष्ठ बनाया गया। जिसके अधीन 1952 में न्यूयार्क व 1953 में लंदन में पर्यटन कार्यालय खोले गए ताकि विदेशी पर्यटकों को शरत यात्रा के लिए आकर्षित किया जा सके। पर्यटन उद्योग के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने के मकसद से पहला होटल मैनेजमेन्ट संस्थान भी 1954 में मुम्बई में खोला गया। वर्ष 1956 में 'होटल अशोक' के निर्माण के साथ ही सरकार ने होटल व्यवसाय में अपना पहला कदम रखा। 1958 में परिवहन मंत्रालय ने पर्यटन प्रकोष्ठ को पूर्ण पर्यटन निदेशालय का दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा इसके लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करने के दृष्टिकोण से ही वर्ष 1996 में भारतीय पर्यटन विकास निगम की भी स्थापना की गयी। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग का विकास निजी क्षेत्र के अन्तर्गत करने के लिए भी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए। वर्ष 1982 में भारत सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन नीति की भी पहली बार घोषणा की। इसमें कहा गया कि केन्द्र सरकार मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का कार्य देखेगी। जबकि घरेलू पर्यटन के विकास का काम राज्य सरकारे संभालेगी तथा जहां भी आवश्यक होगा, केन्द्र राज्यों के प्रयासों में तालमेल कायम करने तथा उन्हें बढ़ाने में भी योगदान देगा। वर्ष 1988 में पर्यटन विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा देश में पर्यटन-विकास के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करने के उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन समिति भी गठित की गयी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि पर्यटन के बुनियादी ढांचे में विस्तृत प्रचार-प्रसार की गतिविधियां शामिल हैं जिनके लिए भारी पूंजीनिवेश की जरूरत है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 1989 में पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन विकास निगम की स्थापना करके पर्यटन नीति उदार बनायी गयी तथा पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन व रियायतें दी गयी। केन्द्र और राज्य सरकारों के लगातार प्रयासों से पर्यटन उद्योग का देश में खासा विकास हुआ है। आंकड़ों में अगर देखे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां इसके लिए एक करोड़ 58 लाख रुपये की राष्ट्रीय आवंटित की गयी थी। वहीं यह राष्ट्रीय आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 3 अरब 64 करोड़ 61 लाख रुपये हो गयी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन का बजट 525 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2900 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को रोजगार-जनन गतिविधि बनाए जाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या, होटलों की संख्या आदि के साथ ही अन्य ढांचागत सुविधाओं में भी पहले से खासा विकास हुआ है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि देश में पर्यटन उद्योग का वर्ष-दर-वर्ष विकास ही हुआ है।

**पर्यटन व्यापार-** वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय होटल प्रबंध तथा खान-पान टेक्नोलॉजी परिषद्, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भारतीय स्कीइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान सहित पर्यटन विभाग के 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के अलावा विदेशों में स्थापित 18 कार्यालयों के माध्यम से पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन में संलग्न है। पर्यटन व्यापार प्रभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर पर्यटन-व्यापार को सहायता देता है। यह

विभिन्न केन्द्रीय विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके पर्यटन उद्योग के विकास को गति देने का महत् कर्म करता है।

**पर्यटन की राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना (1992)** 05 मई 1992 को संसद के दोनों सदनों में पर्यटन के विकास हेतु राष्ट्रीय क्रियान्वयन योजना प्रस्तुत की गई। भारत सरकार ने अपने प्रतिवेदन में इस बात को स्वीकार किया कि पर्यटन उद्योग विश्व में बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। 1950 में विश्व में पर्यटकों की संख्या 45.8 करोड़ थी, जिन पर 12,500 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इस उद्योग में 11.2 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार मिला। अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या का आंकलन करना कठिन कार्य है। 1990 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 623 लाख थी तथा भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 17.1 लाख पहुंच गई थी। भारत सरकार ने पर्यटन उद्योग की आर्थिक महत्ता को स्वीकार करते हुए पर्यटन के विकास की राष्ट्रीय योजना में निम्न उद्देश्यों को निर्धारित किया—

**1. क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास—** पर्यटन क्षेत्र में बसे लोगों को सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके द्वारा उन क्षेत्रों को आर्थिक लाभ पहुंचाना, जहां किसी अन्य आर्थिक साधनों का अभाव हो।

**2. रोजगार के अवसरों को बढ़ावा—** पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। वर्तमान में 130 से 140 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

**3. घरेलू पर्यटन के लोगों के बजट के अनुसार विकसित करना—** विश्व के प्रत्येक देश में पर्यटन उद्योग में घरेलू पर्यटकों की प्रभावी भागीदारी है। यह घरेलू पर्यटन इस तरह से विकसित किया जाए कि लोग अपने अवकाश के क्षणों को अपनी व्यय क्षमता के अनुसार बिता सकें। निश्चित तौर पर पर्यटन को प्रत्येक आय वर्ग के अनुरूप बनाना।

**4. राष्ट्रीय धरोहर और पर्यावरण का संरक्षण—** पर्यटन का विकास राष्ट्रीय मान्यताओं व परम्पराओं की अभिव्यक्ति पर कोई विपरित प्रभाव न डाले। हमारी कला व दस्तकारी सुरक्षित बनी रहे। पर्यटन स्थलों के पर्यावरण पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

**5. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास और विदेशी मुद्रा आमदनी का आशावादी दृष्टिकोण—** अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रभावी स्रोत है। ऐसे उपाय किए जाए कि यह आमदनी 2440 करोड़ रुपए से बढ़कर बीसवीं शताब्दी के अंत तक प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए।

**6. पर्यटन उत्पादों का विविधिकरण—** सांस्कृतिक पर्यटन के वास्तविक रूप को बनाए रखते हुए पर्यटन उत्पादों में विविधता एवं परिवर्तन लाए जाए। पर्यटकों की बदलती हुई आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए।

**7. विश्व पर्यटन में भारत की भागीदारी बढ़ोत्तरी—** विश्व के पर्यटकों का केवल 0.4 प्रतिशत ही भारत आता है। अगले पांच वर्षों में भारत का हिस्सा 1.0 प्रतिशत बढ़ जाना चाहिए।

**पर्यटन विकास की रणनीति—** पर्यटन विकास के उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न लक्ष्यों को रखा गया:-

(1) पर्यटन अधः संरचना (सुविधाओं) में सुधार।

- (2) चयनित क्षेत्रों का समन्वित विकास।
- (3) मानव संसाधनों के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनर्गठन।
- (4) विदेशी पर्यटकों व विदेशी मुद्रा की आमदनी में वृद्धि हेतु उपाय करना एवं उपयुक्त नीति तैयार करना।

**पर्यटन सुविधाओं में सुधार-** पर्यटन सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास में राज्यों के योगदान को महत्वपूर्ण मानने के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। विदेशी व घरेलू दोनों ही क्षेत्र में निजी संस्थाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन वर्तमान समय की आवश्यकता है। पर्यटन मंत्रालय को अपने आपको पर्यटन नीति बनाने के अंग के रूप में ही रहना चाहिए। उसके क्रियान्वयन का दायित्व निजी व अन्य संस्थानों को सौंप देना चाहिए। इसके अन्तर्गत निम्न सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिए जाने का प्रयास किया गया है:-

**आवास निर्माण-** देश में पर्यटन सुविधाओं के रूप में होटल महत्वपूर्ण व सशक्त अंग है। सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उनको वित्तीय छूट दी गई तथा होटल से उपार्जित विदेशी विनियम से प्राप्त आय के 50 प्रतिशत भाग को आयकर से मुक्त रखा गया। आय के शेष 50 प्रतिषत भाग को भी आयकर मुक्त रखा गया, बशर्ते वह इस राशि को होटल के विकास में खर्च करें। इसका होटल व्यवसाय के विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा देखने में आता है कि यह विकास पर्यटन स्थलों की अपेक्षा महानगरीय एवं व्यापारिक नगरों में अधिक हुआ है। अतः यह आवश्यक समझा गया कि होटलों का स्थापन महानगरों से दूर अन्य स्थानों पर किया जाए। इसी कारण पर्यटन स्थल पर विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, विशिष्ट पर्यटन स्थलों पर होटलों के निर्माण के लिए अगले दस वर्षों तक आयकर में 50 प्रतिशत तथा व्ययकर में पूरी छूट देने का निश्चय किया है। होटलों के निर्माण हेतु ऋण लेने पर ब्याज में रियायत दी। चार से पांच सितारा होटलों में 75 लाख रुपये के ऋण पर एक प्रतिशत की रियायत तथा अन्य अनुमोदित होटलों पर तीन प्रतिशत की रियायत होगी। महानगरों में होटल खोलने पर कोई रियायत नहीं होगी। यदि कोई होटल विशिष्ट क्षेत्रों अथवा पर्यटन स्थलों पर स्थापित किया जाता है तो ब्याज में यह रियायत 5 प्रतिषत तक होगी। यह ब्याज सुविधा एक, दो व तीन तारा होटलों के तीव्र विकास के लिए उपलब्ध होगी।

**घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना-** घरेलू पर्यटन को अधिक महत्व दिया जाए और विशेष रूप से कम बजट वाले पर्यटकों के लिए शिविर स्थलों के विकास की योजना बनाई जाए। राज्य पर्यटन विकास निगमों को केन्द्र सरकार साहसिक शिविरों, तम्बू आवास व अन्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। घरेलू व विदेशी पर्यटकों के लिए, जहां भी संभव हो, वहां पेर्सनल गेस्ट आवास सुविधा भी आरंभ की जाएगी, जिससे इन दोनों प्रकार के पर्यटकों को सुविधाजनक व आरामदायक आवासप्राप्त हो सकें। इसी प्रकार वर्गीकरण नियमों में यथायोग्य बदलाव करके होटलों के कमरों की पहचान की जायेगी जिसका लाभ घरेलू पर्यटकों को मिल सके। उन दूर संचालकों की पहचान की जाएगी जो घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। यह सभी प्रयास कम बजट वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी होंगे।

**धार्मिक (तीर्थ) पर्यटन—** घरेलू पर्यटकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तीर्थ यात्रियों का होता है। अतः आवश्यक है कि तीर्थ केन्द्रों पर पर्यटन सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष राज्य पर्यटन विकास निगम, निजी ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी, ताकि इन स्थलों पर आवासीय सुविधा में सुधार, तीर्थ मार्गों के विकास और इन स्थलों पर सुविधाओं में वृद्धि की जा सके।

**शिल्प ग्राम—** सूरजकुण्ड शिल्प मेला और उदयपुर का शिल्पग्राम पर्यटकों के आकर्षण केन्द्र रहे हैं। इन केन्द्रों की सफलता को देखते हुए देश के विभिन्न भागों में इस तरह के शिल्पग्रामों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों की परम्परागत हस्त शिल्प को बढ़ावा मिल सके।

**मेले एवं त्यौहार—** मेले व त्यौहार भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पहचान कराते हैं तथा साथ-साथ काफी समय से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इनमें से अनेक ऐसे मेले भी हैं, जो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें जयपुर का तीज मेला, गणगौर मेला, जैसलमेर का मरु महोत्सव, पुष्कर मेला, सोनपार पशु मेला, पतंग उत्सव, अलेप्सी नौका दौड़, मैसूर का दशहरा उत्सव उल्लेखनीय हैं। पर्यटन मन्त्रालय सम्पूर्ण देश में इन परम्परागत मेलों तथा त्यौहारों को विकसित करने के लिए उदार वित्तीय सहायता देगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशियों को उनमें आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

विदेशी पर्यटक, जो भारतीय संस्कृति, रीतिरिवाज व प्रथाओं को देखने के इच्छुक रहते हैं, उनके लिये यह मेले प्रमुख आकर्षण रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर विदेशी पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं को आयोजित करने के लिए निश्चित व्यवस्था नहीं हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि इन सांस्कृतिक केन्द्रों पर पूरे वर्ष कहीं न कहीं सांस्कृतिक संस्थाएं, प्रकाश कार्यक्रम, शिल्प बाजार, का नियमित तौर पर आयोजन किया जाए। ऐसे कार्यकलापों को भारत के पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है।

**सड़क परिवहन—** पर्यटन सुविधाओं में सड़क परिवहन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बौद्ध धर्म स्थलों को परस्पर जोड़कर एक परिष्मण मार्ग को विकसित करेगी। इस पर वातानुकूलित बसों की व्यवस्था करेगी। यह पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। इस बात को स्वीकार किया गया है। जो बसें अब पुरानी पड़ चुकी हैं, सरकार उनको बदलने की ऐसी योजना बनाएगी, जिसके द्वारा पर्यटकों की चिरप्रतीक्षित मांग को पूरा किया जा सके।

**पर्यटकों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करना—** सरकार ने विमान सेवाओं की अनुबंध उड़ानों की नीति को उदार बनाया है और नगर विमान के महानिदेशक को यह अनुमति प्रदान की है कि वह दिए गए निर्देशों के आधार पर अनुबन्ध उड़ानों की व्यवस्था करें। इन उड़ानों से देश के पर्यटन को काफी लाभ हुआ है, और विभिन्न पर्यटन स्थलों को इनके द्वारा जोड़ा गया है। हाल ही में आरंभ की गयी एयर टैक्सी सेवा, राष्ट्रीय वाहकों के प्रयासों को सहायता देगी और पर्यटकों की देश के भीतर आवाजाही को गति प्रदान करेगी। विदेशी पर्यटक रेल द्वारा यात्रा करने के लिए अद्य तक उत्सुक रहते हैं। पैलेस ऑन व्हील रेल की सफलता इस दिशा में एक उत्तम उदाहरण है। सरकार ने इसी आधार पर एक नई रेल सेवा गोआ और मैसूर के मध्य पर्यटकों के लिए आरंभ करने

की घोषणा की। जल परिवहन को विकसित करके पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। निजी क्षेत्र को इस दिशा में प्रोत्साहन किया जाएगा कि तटीय क्षेत्रों व नदियों के बीच नावों व स्टीमर सेवाओं की व्यवस्था करें।

**विदेशी विनियोजन—** होटल एवं पर्यटन सम्बन्धित उद्योग के लिए एक नई नीति तैयार की गई है, जिसमें विदेशी विनियोजन का हिस्सा 51 प्रतिशत रखा जा सकता है। इस आधार पर पर्यटन उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो भारत में निवेश करने की इच्छुक विदेशी कम्पनियों से समझौता करेगी। एक उपसमिति पर्यटन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी जो पर्यटन में विदेशी निवेश को प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगी।

**गोष्ठी तथा सम्मेलन पर्यटन—** गोष्ठी एवं सम्मेलन ने पर्यटन में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। सम्मेलन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि देश में ऐसे सभा कक्षों का निर्माण किया जाए, जो सभा को आयोजित करने तथा प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से युक्त हो। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाओं से युक्त देश में एक सम्मेलन नगर की स्थापना की जाए तथा विदेशी राष्ट्रों से पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी समझौते किये जाये।

### पर्यटन का योजनागत विकास

देश में योजना प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद तक भी पर्यटन को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया था। प्रथम योजना में पर्यटन विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं के विस्तार का जिक्र जरूर था। संक्षिप्त रूप में योजना में कहा गया था कि पर्यटन के लिए तैयार की जाने वाली योजनाएं दो तरह की होंगी। पहली विदेशी सैलानियों के लिए खास पर्यटक—स्थलों पर सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित और दूसरी निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के घरेलू पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाने से संबंधित। योजना में कहा गया था कि पहला कार्यक्रम पूर्ववतः केन्द्र के जिम्मे होगा। जबकि दूसरे प्रकार की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र की सहायता से लागू की जाएंगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ढांचागत सुविधाओं, विशेषकर ठहरने के लिए होटल सुविधा पर विशेष जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली बार पर्यटन को विदेशी मुद्रा अर्जित करने, रोजगार बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भाव बढ़ाने का साधन माना गया। पाँचवीं योजना में पर्यटन का संक्षिप्त—सा उल्लेख किया गया था और इसके लिए अधिक धनराशि व्यय करने की बात कहीं गयी थी। छठी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन की मौजूदा क्षमता के अधिकतम उपयोग पर विषेश रूप से बल दिया गया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पर्यटकों के ठहरने के लिए अधिक से अधिक आवास—सुविधाएं जुटाने की बात भी छठी पंचवर्षीय योजना में कहीं गयी थी। इसी के साथ पर्यावरण—संरक्षण पर जोर देते हुए पर्यटन विकास के लिए अधिक धनराशि रखने का सुझाव भी इसी योजना में दिया गया था। पर्यटन विकास के महत्व को समझते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) में पहली बार पर्यटन को उद्योग को दर्जा देने की बात कहीं गई तथा हस्तशिल्पयों की बिक्री बढ़ाने व साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने में पर्यटन के योगदान की सम्भावनाओं का पता लगाने की बात पहली बार सातवीं

योजना में ही कही। इस योजना के मसौदे में कुछ खास पर्यटन सर्किट विकसित करने, गैर पारस्परिक क्षेत्रों में पर्यटन के विस्तार की शुरुआत पर बल दिया गया। इस योजना से ही विदेशों में भारतीय पर्यटन की सम्भावनाओं का प्रचार करने के बारे में भी विषेश रूप से चर्चा की गयी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विषेश रूप से पर्यटन को अधिक रोजगार जुटाने वाले साधन के साथ ही एक उद्योग का दर्जा देने की बात कही गयी। सेवा क्षेत्र में भी पर्यटन को ऐसा उद्योग माना गया जिसमें पूँजीपति, श्रमिक, प्रबंधक, कलाकार, नर्तक, संगीतज्ञ और कई वर्गों के लोगों को रोजगार मिलता है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को पर्यटन को अपने यहां उद्योग का दर्जा देने के लिए कहा गया। चूँकि पर्यटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न उद्योगों का विकास भी इसके विकास से ही संभव है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही इसकी सहायक क्रियाओं को भी बल मिला। होटल उद्योग, ट्रेवल एजेन्सियों आदि का विकास इस उद्योग के विकास से ही संभव है। ऐसे में पर्यटन उद्योग को व्यावहारिक रूप से विकसित करना अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता में भी सम्मिलित होना स्वाभाविक है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो पर्यटन को प्राथमिकता वाले सेक्टर के रूप में मान लिया गया है और आर्थिक पुनर्संरचना और उदारीकरण नीतियों के फलस्वरूप पूँजी-निवेश के लिए पर्यटन को प्राथमिक सेक्टर घोषित कर दिया गया। पर्यटन सेक्टर में विदेशी पूँजी-निवेश की सीमा को बढ़ाकर जुलाई 1991 में 51 प्रतिशत कर दिया गया। इस क्षेत्र में नये दिशा-निर्देशों के तहत 29411.56 (मिलियन) रुपये के विदेशी पूँजी निवेश को शामिल करते हुए सितम्बर, 1997 के अंत तक 243 प्रस्ताव भी अनुमोदित किये थे। इसके अलावा पर्यटन उद्योग के अधिकाधिक विकास के लिए देश में भारतीय पर्यटन वित्त निगम की भी स्थापना हो गयी। यह निगम पर्यटन उद्योगों की मांग को पूरा करता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं, जैसे भारतीय औद्योगिक निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास आदि के द्वारा भी पर्यटन उद्योग को ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। पर्यटन के बढ़ते महत्व को देखते हुए ही केन्द्र एवं राज्य सरकारे अब इस उद्योग पर विषेश ध्यान दे रही है। वैसे भी हीरे-जवारात एवं रेडीमेड गारमेन्ट, वस्त्र उद्योग के बाद पर्यटन ही देश का एक मात्र सबसे बड़ा उद्योग है जिससे राष्ट्र को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

### संदर्भ ग्रंथ

1. पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ष 2008–09